**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 254**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**प्रादेशिक सेना में महिलाएं**

**\*254. श्री अब्दुल वहाब :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;**

**(ख) क्या निकट भविष्य में कोई विशेष भर्ती किए जाने की संभावना है ; और**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?**

**उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**प्रादेशिक सेना में महिलाओं के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19 मार्च 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): सरकार ने क्रमशः तेल क्षेत्र की कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ओर रेल मंत्रालय की महिला कर्मचारियों, जो संबंधित प्रादेशिक सेना यूनिटों में सेवा की इच्छुक हैं और 18 से 42 वर्ष के आयु समूह में हैं, से प्रादेशिक सेना की तेल क्षेत्र यूनिटों और रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट यूनिटों में महिलाओं को कमीशन करने/नामांकित करने के लिए अनुमति प्रदान की है । प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट यूनिटों और तेल क्षेत्र की यूनिटों में कमीशन करने/नामांकन की प्रक्रिया समय-समय पर की जा रही है ।

\*\*\*